न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 47/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/118

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बंशीलाल पुत्र शिवराम, जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. भैरूराम पुत्र शिवराम, जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी, तहसील परबतसर। 2. तहसीलदार, परबतसर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार, परबतसर, प्रशासन गांवों के संग अभयान–2013 राजस्व विविध दिनांक 23.01.2013 के धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत विभाजन पत्र तस्दीक कर बंटवाड़े का आदेश पारित किया।

–:निर्णय:–

दिनांक : 04.11.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:–

अपीलाधीन भूमि अपीलांट की खरीदसुदा व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अपीलान्ट से जरिए दानपत्र से प्राप्त भुमियां है जिस पर दौराने बंटवाड़ा व आदिनांक ही अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है। फिर भी अपीलान्ट को मुकालते में रख कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आगे फ्रंट की भूमि व अपीलान्ट का रहवासी मकान सहित भूमि अपने बंट में करवा लेने का कोई कानूनी अधिकार व हक कतई नहीं था तथा अपीलान्ट के साथ उसके अनपढ़ व अज्ञानता का फायदा उठाकर धोखे से उसे सहमति होने के अंगुठा निशानी करवा कर बिना अपीलांट को जानकारी करवाये धोखे में रखते हुए धौखे से अधिनस्थ न्यायालय से विभाजन पत्र (सहमति पत्र) बंटवाड़े का तस्दीक करवाया जो धोखे से प्राप्त आज्ञा है ऐसी आज्ञा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है तथा ऐसी आज्ञा अपीलांट के विरूद्ध नल एण्ड वॉयड है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.01.2013 को निरस्त फरमावें।

उक्त प्रकरण में कार्यालय ह[illegible] के [illegible]ांक कोर्ट/2025/294 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा तहसीलदार परबत[illegible] से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार परबतसर के पत्रांक मू./2025/115 दिनांक 13.08.2025 के [illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोहिण्डी के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

संख्या पुराने 386 रकबा 8 बिघा 9 बिस्वा बारानी 2 बंशीलाल भैरूराम पि. शिवराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2013 के अन्तर्गत रोहिण्डी में दिनांक 23.01.2013 को आयोजित कैम्प में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार खातेदारों ने उक्त खसरे का आपसी सहमति विभाजन करवाया गया। उक्त सहमति बंटवारे के आधार पर नामान्तरण संख्या 1078 दर्ज किया जो दिनांक 20.02.2013 को स्वीकृत हुआ। वर्तमान जमाबन्दी 2074 से 2077 में खसरा संख्या 239 रकबा 0.68 हैक्टेयर बंशीलाल पुत्र शिवराम व खसरा संख्या 239/1 रकबा 0.68 हैक्टेयर भेरूराम पुत्र शिवराम व खसरा संख्या 238 रकबा 0.01 हैक्टेयर बंशीलाल पुत्र शिवराम हिस्सा 1/2 भेरूराम पुत्र शिवराम हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट अनुसार खातेदारों ने उक्त खसरे का आपसी सहमति विभाजन करवाया तथा उक्त सहमति बंटवारे के आधार पर नामान्तरण संख्या 1078 दर्ज किया जो दिनांक 20.02.2013 को स्वीकृत हुआ। अतः आपसी सहमति से विभाजन करवाने के कारण अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **04.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

04.11.2025
(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested